

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कुम्पसिंह पुत्र राणसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)		केशरसिंह पुत्र वगतसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53, 188)

मुकदमा नम्बर 187/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

21.08.2025

प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन
कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188, राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर हो।
विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक
नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15.09.25
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

15.09.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 4.11.25 को पेश हो।

04.11.25

पत्रावली पेश की वही वही उपस्थित।
पत्रावली प्रतिवादीगण के तर्फ से दिनांक
3.12.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

3.12.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 12.1.26 को पेश हो।



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12.1.26

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्लाफा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 26.2.26 को पेश हो।

26.2.26

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
पत्रावली करते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु
दिनांक 13.03.26 को पेश हो।

13.3.26

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने
कारण इत्लाफा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 01.4.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

01.04.26

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
पत्रावली करते प्रतिवादीगण की तामिली
हेतु दिनांक 6.5.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर

6.5.26

पत्रावली पेश / वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में पेश की हेतु वादी व वकील वादी को
स्थापना समग्र में रुक-रुककर आवाजे दी जाने
के बावजूद कोर्ट उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में
उभारी पेश नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर
पत्रावली इसी स्टेज पर अडम हाजरी व अडम
पेश में खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसला होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

11 श्री 11

सेवा में,
श्रीमान सहायक क
लक्टर

राज

वादीगण

21/10/25